51/15 18/11/15 11/5/16 30/12/15 9/3/16

Form no.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जोधपुर)

**चैनाराम पुत्र हंसाराम बनाम पुजाराम पुत्र धोकलराम वगैरा**

सम मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी एक्ट मुकदमा संख्या 51/15 सन 2015

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता **श्री देवेन्द्र सोनी** उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली पर एक पक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली व राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया । प्रकरण की गम्भीरता के मध्य नजर अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 838/18 मौजा बालेसर सत्ता तहसील बालेसर में मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं निमार्ण कार्य नही करे । अप्रार्थीगण के सम्मन जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनाक **14.10.2015** को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
बालेसर

15 पत्रावली पेश हुई । अधिवक्ता प्रार्थी उप. । पत्रावली वास्ते तलबी दि. 2/12/15 को पेश हो।

15 पत्रावली पेश हुई । अधिवक्ता प्रार्थी उप. । पत्रावली वास्ते तलबी दि. 30/12/15 को पेश हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalb
Date: 2024.05.23 18:52:56 IST
Reason: SelfAttested

## फर्द अहकाम

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज | नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई |
|---|---|---|
| | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। पेशी पर बहस सूनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेघाज्ञा हेतु तीन मूलभूत बिंदुओ पर पत्रावली का अवलोकन किया :–<br>1. प्रथम दृष्टतया मामला :– राजस्व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि सामलाती है। जितना अधिकार प्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक भूमि पर है उतना ही अप्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक की भूमि पर है। अतः प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो के पक्ष में सिद्व होता है।<br>2. सुविध का संतुलन :–प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि के रेकार्ड खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पर जो सुविधा प्रार्थी प्राप्त कर सकता है वही सुविधा अप्रार्थीगण भी प्राप्त करने के हकदार है। अतः सुविधा का संतुलन आज के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होता है।<br>3. अपूरनीय क्षति :– प्रार्थी द्वारा वाद मूल रूप से उक्त विवादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु लाया गया है जिसे साक्ष्यों द्वारा प्रार्थीगण को मूलवाद में सिद्व करना है परंन्तु राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से यह सिद्व होता है उक्त खसरा सामलाती है जो विवादित है। भूमि का बिना बंटवाडा विवादग्रस्त भूमि की मौका एवं राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थिगण दोनो को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उक्त स्थिति के तहत अपूरणीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित होता है।<br>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त तीन मूलभूत बिंदुओ के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा बालेसर सत्ता के खसरा नम्बर 838/18 की भूमि के राजस्व रेकर्ड पर जारी अस्थाई निषेद्याज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक लागू की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.23 18:52:56 IST
Reason: SelfAttested